

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(6)स्था/मंत्रा/अभि/18/ 12636-51 दिनांक :- 4/10/18


:- आदेश :-

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12039-100 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत कर आदेश क्रमांक 926-98 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया गया था :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम मय पद एवं पूर्व पदस्थापित स्थान	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1.	श्री रमेशचन्द जाटव कार्यालय स.नि.अ. करौली	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. भरतपुर
2.	श्री चन्द्रप्रकाश माली कार्यालय स.नि.अ. जैसलमेर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. सिरोही
3.	श्री मेधाराम कार्यालय स.नि.अ. पाली	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. राजसमन्द
4.	श्रीमती दिव्य बाला अभियोजन निदेशालय -जयपुर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. टोंक


उक्त सभी 04 कार्मिकों द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर पदोन्नति परित्याग करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप इन्हे पदोन्नति परित्याग (फोरगो) करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है। जिन कार्मिकों को अपने मूल पद से कार्यमुक्त कर दिया है, वे उसी पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, जहाँ से उन्हें कार्यमुक्त किया गया था।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मुख्यालय), भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर।
5. सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मुख्यालय) एवं करौली, जैसलमेर, पाली, भरतपुर, सिरोही, राजसमन्द, एवं टोंक।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर